



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 697]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 18, 2012/चैत्र 29, 1934

No. 697]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 18, 2012/CHAITRA 29, 1934

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2012

का.आ. 837 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

- (1) सचिव, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय —अध्यक्ष, पदेन ;
- (2) सचिव, भारत सरकार या संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का उसका नामनिर्देशिति, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय —सदस्य, पदेन ;
- (3) सचिव, भारत सरकार या संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का उसका नामनिर्देशिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय —सदस्य, पदेन ;

(4) सचिव, भारत सरकार या संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का उसका नामनिर्देशिति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय —सदस्य, पदेन ;

(5) सचिव, भारत सरकार या संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का उसका नामनिर्देशिति, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय —सदस्य, पदेन ;

(6) सचिव, भारत सरकार या संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का उसका नामनिर्देशिति, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय —सदस्य, पदेन ;

(7) प्रधान सचिव या सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, जो, यथास्थिति, लघु उद्योग या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित कार्य करते हों —सदस्य, पदेन ;

(8) प्रधान सचिव या सचिव, बिहार सरकार, जो, यथास्थिति, लघु उद्योग या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित कार्य करते हों —सदस्य, पदेन ;

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (9) प्रधान सचिव या सचिव,
गुजरात सरकार, जो, यथास्थिति,
लघु उद्योग या सूक्ष्म, लघु और मध्यम
उद्यमों से संबंधित कार्य करते हों | —सदस्य, पदेन ; | (4) Secretary to the Government
of India or his nominee not below
the rank of Joint Secretary,
Ministry of Environment and
Forest | —Member,
ex-officio; |
| (10) अध्यक्ष, तमिलनाडु स्माल एंड टाइन्री
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, नं.-10,
जी.एस.टी. रोड, गिंडी, चेन्नई-600032 | —सदस्य, पदेन ; | (5) Secretary to the Government
of India or his nominee not below
the rank of Joint Secretary,
Department of Revenue,
Ministry of Finance | —Member,
ex-officio; |
| (11) अध्यक्ष, कर्नाटक स्माल स्केल
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, 17 क्रॉस,
मगाडी चौर्ड रोड, विजयनगर,
बंगलौर-560055, कर्नाटक | —सदस्य, पदेन ; | (6) Secretary to the Government
of India or his nominee not below
the rank of Joint Secretary,
Department of Financial Services,
Ministry of Finance | —Member,
ex-officio; |
| (12) अध्यक्ष, माइक्रो, स्माल एंड मीडियम
इन्टरप्राइजेज कमेटी, फेडरेशन ऑफ
इंडियन चैंबर ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री,
फेडरेशन हाऊस, तानसेन मार्ग,
नई दिल्ली-110001 | —सदस्य, पदेन ; | (7) Principal Secretary or Secretary to
the Government of Himachal
Pradesh, dealing with small scale
industries or, as the case may be,
micro, small and medium enterprises | —Member,
ex-officio; |
| (13) अपर सचिव, भारत सरकार और
विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और
मध्यम उद्यम) सूक्ष्म, लघु एवं
मध्यम उद्यम मंत्रालय | —सदस्य, सचिव | (8) Principal Secretary or Secretary to
the Government of Bihar, dealing
with small scale industries or, as
the case may be, micro, small and
medium enterprises | —Member,
ex-officio; |

[फा. सं. 2(10)/2011-एमएसएमई (पालिसी)]

अमरेंद्र सिन्हा, अपर सचिव

**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES
NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th April, 2012

S.O. 837(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee, for a period of two years from the date of publication of this notification, consisting of the following members namely :—

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (1) Secretary to the Government
of India, in the Ministry of
Micro, Small and Medium
Enterprises | —Chairperson,
ex-officio; | (10) President, Tamil Nadu Small and
Tiny Industries Association,
No. 10, G.S.T. Road, Guindy,
Chennai-600 032 | —Member,
ex-officio; |
| (2) Secretary to the Government
of India or his nominee not below
the rank of Joint Secretary,
Department of Industrial Policy
and Promotion, Ministry of
Commerce and Industry | —Member,
ex-officio; | (11) President, Karnataka Small Scale
Industries Association, 17 Cross,
Magadi Chord Road, Vijaynagar,
Bangalore-560055, Karnataka | —Member,
ex-officio; |
| (3) Secretary to the Government of
India or his nominee not below
the rank of Joint Secretary Ministry
of Science and Technology | —Member,
ex-officio; | (12) Chairman, Micro, Small and
Medium Enterprises, Committee,
Federation of Indian Chamber
of Commerce and Industry,
Federation House, Tansen Marg,
New Delhi-110 001 | —Member,
ex-officio; |
| | | (13) Additional Secretary to the
Government of India and
Development Commissioner,
(Micro, Small and Medium
Enterprises), Ministry of Micro,
Small and Medium Enterprises. | —Member-
Secretary |

[F. No. 2(10)/2011-MSME (Policy)]
AMARENDRA SINHA, Addl. Secy.